संख्या-115/2018/सं0वि0क0नि0-1-1350/11-2018-98/2018

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

सं0वि0कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 लखनऊः:दिनांकः 02 अगस्त, 2018

विषयः- वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-सं0वि0क0नि0-1-1310/11-2018-98/2018 दिनांक 02 अगस्त, 2018 द्वारा सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग विषयक कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26.10.1985 में किये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में विचार हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष 2017 में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार दिनांक 31.03.2017 को 50 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 के 93 अधिकारियों, ज्वाइन्ट कमिश्नर के 104 अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर के 207 अधिकारियों तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर के 12 अधिकारियों के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचारोपरान्त वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण ज्वाइन्ट कमिश्नर स्तर के 21 अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर स्तर के 85 अधिकारियों तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर स्तर के 05 अधिकारियों के प्रकरण आस्थगित ;क्ममिततमकद्ध रखे गये। आस्थगित रखे गये उक्त अधिकारियों की सूची संलग्न है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.10.1985 एवं शासनादेश सं0-13/5-85-का0- 1-1989 दिनांक 06.02.1989 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेन्ट कमिश्नर से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तक के अधिकारियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 24.04.2018 से वाणिज्य कर विभाग में संविलीन मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों, जिनकी आयु दिनांक 31.03.2018 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक है की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में विचार हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की अद्यतन ब्राडशीट सहित सुसंगत प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आस्थगित रखे गये प्रकरणों का विवरण

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	1599	विमल प्रकाश गुप्ता
2.	1500	राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल
3.	1479	सुनील कुमार वर्मा
4.	1440	हीरा लाल
5.	1387	संगम लाल
6.	1536	राकेश बरनवाल
7.	1573	कमलेश कुमार श्रीवास्तव
8.	1540	सुश्री इन्द्रा गुप्ता
9.	1435 ए	रवीन्द्र पाण्डेय
10.	1290 डी	हरिनाथ सिंह
11.	1276	ओम प्रकाश चैबे
12.	1342	दिग्विजय नाथ सिंह
13.	1356	चन्द्र प्रकाश मिश्रा
14.	1370	राजेश सिंह
15.	1391 ए	अयूब अली
16.	1401	ललित मिश्रा
17.	1418	राजेश कुमार
18.	1290 बी	धीरेन्द्र प्रताप
19.	1416	दीनानाथ
20.	1337	धीरेन्द्र प्रताप सिंह
21.	1424	श्रीमती विभा पाण्डेय

2. डिप्टी कमिश्नर

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	1910	रामदास
2.	1768	कन्हैया लाल बन्सल
3.	1847 ए	सुन्दर सिंह राणा
4.	2060	विमल कुमार
5.	1805	लतेश कुमार वर्मा
6.	1978	शिवनाथ सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7.	2070	कमलेश्वर कुमार
8.	1827	विष्णु कुमार सिंह
9.	1811 ए	सुरेश कुमार
10.	1655	रमेश चन्द्र
11.	1928	दिनेश कुमार उपाध्याय
12.	1693	मोहन कुमार
13.	1824	विजय कुमार त्रिपाठी
14.	1801	राम कुमार गुप्ता
15.	1816	सुनील कुमार धवन
16.	1657	संजीव कुमार सिंह
17.	1914	गुरू प्रसाद यादव
18.	1669	महेश चन्द्र यादव
19.	1668	डा0 वीरेन्द्र प्रकाश
20.	1829	संतोष कुमार बाजपेयी
21.	1693 ए	भूपाल सिंह
22.	1812	दिनेश चन्द्र गुप्ता
23.	1980	नवीन कुमार पाण्डेय
24.	2053	राम चन्दर
25.	1972	जोखन राम
26.	1605	राम किशोर तिवारी
27.	1960	महादेव वर्मा
28.	1865	गुलाब चन्द्र
29.	1859	हरेन्द्र कुमार
30.	1962	श्रीमती शशि आर्या
31.	1637	अमर नाथ यादव
32.	1893	अरविन्द कुमार तिवारी
33.	1968	वीरेन्द्र कुमार गहराना
34.	1829	श्रीपाल
35.	1970	अनिल कुमार
36.	1838	दीपक कुमार
37.	1820	परमानन्द
38.	2061	राम आशीष
39.	2027	अरूणेश प्रताप सिंह
40.	1831	अजीत सिंह
41.	1895	सूर्यकान्त तिवारी
42.	2038	संजय कुमार मिश्रा
43.	2080	पंकज कुमार राय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

44.	2010	संच्चिदानन्द सिंह
45.	2012	भूपाल बहादुर सिंह
46.	2059	राम प्रकाश गुप्ता
47.	2006	प्रेम चन्द्र दूबे
48.	1807	राम प्रताप सिंह
49.	1711	ओम प्रकाश राय
50.	1809	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
51.	1832	राम कुमार प्रसाद
52.	1819	संत कुमार जैन
53.	1996	महेश चन्द्र
54.	1926	संजय कुमार सिंह
55.	1969	डा0 अभय शुक्ला
56.	1918 ए	जफीर अहमद
57.	1934	राम प्रकाश
58.	1814	संजय मेहरोत्रा
59.	2008	अजिताभ राय
60.	1902	संजय कुमार
61.	1834	अरविन्द कुमार दोहरे
62.	1881	प्रेम रंजन पाण्डेय
63.	2052	राम सुमिरन
64.	2065	राम सेवक प्रसाद
65.	2020	बृजेन्द्र सिंह
66.	1889	अशोक कुमार सिंह
67.	2037	विनोद कुमार शर्मा
68.	2063	अखिलेश कुमार
69.	1920	दयाशंकर
70.	1994	देवेश कुमार सिंह
71.	1887	राज कुमार त्रिपाठी
72.	1900	अशोक कुमार बनर्जी
73.	1966	शरद चन्द्रा
74.	2051	रवि प्रकाश
75.	1952	विनोद कुमार
76.	2035	संजय सिंह
77.	1986	सुश्री अनीता गब्र्याल
78.	2082	मधुर मिलन सिंह
79.	1879	सुश्री रश्मि श्रीवास्तव
80.	2072	सुश्री माधुरी सागर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

81.	2047	मदन लाल
82.	1582	संजय कुमार
83.	2042	अरूण कुमार श्रीवास्तव
84.	2026	शिव आसरे सिंह
85.	2058	अशोक कुमार गुप्ता

3. असिस्टेन्ट कमिश्नर

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	2286	श्याम नारायण यादव
2.	2288	पशुपति प्रताप सिंह
3.	2304	सूरज पाल
4.	2157	अशोक कुमार
5.	2187	सुखवीर सिंह

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।